न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री पंकज कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व मूल वाद संख्या :– 01/2023

वादीगण–

1. दलपतसिंह पुत्र श्री भीखारामजी,
2. रूपाराम पुत्र श्री भीखारामजी,
3. जगदीश पुत्र श्री भीखारामजी,
4. जयसिंह पुत्र श्री भीखारामजी,

जातियान माली, निवासीगण खरबुजा बावड़ी, सूरसागर, गांव बागां, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादी–

1. रामप्रसाद चेला श्री मोहनदासजी, निवासी खरबुजा बावड़ी, सूरसागर, गांव बागां, तहसील व जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.
सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

–::निर्णय::– दिनांकः– 13/06/2024

अधिवक्तागणः –

1. प्रतिवादी/प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार, श्री सिद्धार्थ परिहार, श्री प्रेमकुमार देवड़ा उपस्थित ।
2. वादीगण/अप्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री जयदेवसिंह चारण उपस्थित ।

वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया हुआ है जिसके तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा राजस्व ग्राम बागां, तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 855 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा संख्या 855/1 रकबा 03 बिस्वा कुल 6 बीघा कृषि भूमि आई हुई है। उक्त वादग्रस्त दोनों खसरान को वादीगण के पिता श्री भीखारामजी द्वारा जरिये पंजीबद्ध बेचान रजिस्ट्री दिनांक 20.05.1974 को श्री मोहनदासजी से खरीदना वाद में बताया गया जिस बेचाननामा की मूल प्रति तत्कालीन समय खरीददार श्री भीखारामजी द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी हेतु सम्बन्धित तत्कालीन हल्का पटवारी को सुपुर्द की थी लेकिन उक्त पंजीबद्ध बेचाननामे के आधार पर भी तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की गयी। भीखारामजी का स्वर्गवास हो चुका हैं तथा वादीगण एवं भंवरलाल व हेमसिंह पुत्रगण श्री भीखारामजी को उक्त खसरान की भूमियां उत्तराधिकार में प्राप्त हुई तत्पश्चात सर्वसम्मति से आपसी मौखिक पारिवारिक समझौता/बंटवाड़ा में यह समस्त पूर्ण रकबा वादग्रस्त भूमि सिर्फ वादीगण के बंट में निश्चित की गयी। आगे वाद में यह भी अंकित किया गया हैं कि प्रतिवादी द्वारा वादीगण को वादग्रस्त खसरान से बेदखल करने एवं बेचान करने की धमकियां देने पर बेचाननामा की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तथा सम्बन्धित पटवारी से राजस्व रेकर्ड यथा नामान्तरकरण संख्या 1271 एवं चालू जमाबन्दी की नकलें भी प्राप्त जिससे यह वादीगण को जानकारी हुई कि प्रतिवादी द्वारा मोहनदासजी के स्वर्गवास उपरान्त अपने नाम से वादग्रस्त खसरान राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा लिये गये। आगे यह भी तथ्य प्रकट किये गये हैं कि प्रारम्भ में वादग्रस्त भूमि बेचानकर्ता श्री

मोहनदासजी चेला श्री अभयरामजी के गुरू श्रीरामवल्लभजी चेला हरसुखदासजी के नाम से राजस्व रेकर्ड में खातेदारी में दर्ज थी उक्त श्री रामवल्लभजी के स्वर्गवास पर उत्तराधिकार के कम में उनके चेला कम में श्री अभयरामजी चेला श्री रामवल्लजी को यह भूमि प्राप्त हुई तथा उक्त श्री अभयरामजी के सन् 2002 में स्वर्गवास होने पर यह भूमि प्रतिवादी श्री रामप्रसादजी के गुरू श्री मोहनदासजी को उत्तराधिकार के कम में विरासत के कम में चेला प्रथा के कम में प्राप्त हुई तथा उत्तराधिकार के कम में/विरासत के कम में/चेला प्रथा के कम में वादग्रस्त कृशि भूमि बेचानकर्ता श्री मोहनदासजी के गुरू श्री अभयरामजी को उत्तराधिकार में विधिवत् रूप से प्राप्त हुई यानि उक्त श्री अभयरामजी के उत्तराधिकार में उक्त श्री मोहनदासजी चेला श्री अभयरामजी को वादग्रस्त भूमि प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति में उक्त पंजीबद्ध बेचाननामें के आधार पर वादीगण द्वारा घोषणा खातेदारी एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये जिस पर प्रतिवादी की तरफ से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार, श्री सिद्धार्थ परिहार एवं अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा का वकालत नामा पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है है कि वादीगण की कृषि भूमि राजस्व ग्राम बागां, तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 855 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा संख्या 855/1 रकबा 03 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा है। उपरोक्त भूमि का इमारती पट्टा संत रामवल्लभदास चेला हरसुखदास के नाम से तत्कालीन जोधपुर स्टेट द्वारा जारी किया गया था। उपरोक्त भूमि में किसी को भी हस्तांतरण योग्य अधिकार अर्जित नहीं हुए हैं। वादी ने उपरोक्त भूमि अपने स्वं. पिता भीखाराम द्वारा सन् 1974 में दिनांक 29.03.1974 के बेचाननामे द्वारा क्रय करना बताया गया तथा उक्त विक्रय पत्र श्री मोहनदास जी द्वारा निष्पादित करना बताया गया। सन् 1974 में उपरोक्त भूमि में मोहनदास जी को कोई हस्तांतरण योग्य अधिकार प्राप्त नहीं हुए एवं न मोहनदास जी उस समय गाद्दीपति थे। राजस्व रेकर्ड में आज दिन तक उपरोक्त भूमि किसी के खातेदारी में दर्ज नहीं हुई एवं न हो सकती है। कृषि भूमि में हस्तांतरण केवल खातेदारी अधिकारों का ही हो सकता है जबकि स्व. मोहनदास जी न तो उस भूमि के सन् 1974 में खातेदार थे एवं न ही हो सकते थे। इस भूमि का कोई भी लगान भी निर्धारित नहीं है जबकि खातेदार वह व्यक्ति होता है जिससे लगान देय होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा उस भूमि के संदर्भ में की जा सकती है जो भूमि खातेदारी की हो एवं जिसका लगान देय हो। इस प्रकार वादी को वर्तमान मामले में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद पेश करने का कोई वादकरण पैदा नहीं होता है एवं वादकरण के अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूचि के अनुसार भी वर्तमान वाद पोषणीय नहीं है क्योंकि वाद की विषयवस्तु के संदर्भ में कोई खातेदारी अधिकारों का अर्जन अथवा हस्तांतरण हुआ ही नहीं। ऐसे वाद को माननीय न्यायालय में अनावश्यक रूप से लंबित रखने के बजाय प्रारंभिक स्तर पर ही वाद पत्र को रिजेक्ट कर दिया जाना न्यायोचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को उसी रूप में पठन पाठन एवं समग्र अवलोकन से भी वादी को वाद प्रस्तुत करने हेतु कोई वादकरण पैदा होना नहीं माना जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया एवं अधिवक्ता वादीगण को प्रार्थना पत्र की नकल दिलवायी गयी । अधिवक्ता वादीगण द्वारा दिनांक 28.08.2023 को उक्त प्रार्थना पत्र

का जवाब पेश किया गया जिसकी नकल अधिवक्ता प्रतिवादी को दिलवायी गयी, एवं जवाब शामिल मिशल किया गया । अधिवक्ता वादी द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का अपने जवाब के द्वारा पूर्ण रूप से खण्डन किया गया। वादीगण की ओर से अपने जवाब एवं बहस के संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए :–

1. AIR 1983 Allahbad Page 216 Point (E)
2. धारा 43 संपत्ति अधिनियम 1882:– अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण जो अंतरण जो अंतरित संपत्ति में पीछे हित अर्जित कर लेता है।
3. धारा 43 टी.पी. एक्ट AIR 1962 SC Page 847 (850)
4. RRD 1991 Page 540 Point (A)
5. RRD 1988 Page 610
6. RRD 2002 Page 607 Point (A) (D.B.)
7. RRD 1993 Page 88
8. AIR 1966 SC Page 1697 Point (B)
9. CCC 1999 (1) Page 680
10. RRT 2009 (1) Page 225 Raj. HC
11. RRD 2012 Page 455 O7 R11 CPC
12. (2006) 12 SCC Page 552
13. RRT 2021 (2) Page 1203 Raj HC O7R11 CPC
14. RRT 2010 (1) Page 720 Raj HC O7 R11
15. RRT 2024 (1) Page 58 Para (8)
16. RRT 2006-07 (Supp.) Page 464 Raj HC
17. RRD 1997 Page 174

उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11, सपठित 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी । अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज करने का निवेदन किया इसके विपरित अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद विधि में विहित प्रावधानों के तहत वाद प्रस्तुत होना बताते हुए प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के साथ में वर्तमान जमाबन्दी, नामान्तरकरण संख्या 1271 एवं बेचाननामा मोहनदास बहक भीखाराम सन् 1974 पेश किये गये हैं इसके विपरित अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा खतौनी मौजा बागां, परगना जोधपुर, राज मारवाड़ सम्वत् 1982, एवं जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 2032, जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057, जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 की पेश की गयी । चूंकी पत्रावली में पेश राजस्व रेकर्ड सम्वत् 1982 से लेकर 2058 तक में रामवल्लभ चेला हरसुखदास बजरिये इमारती पटटा के रूप में वादग्रस्त खसरान की भूमियां दर्ज हैं न कि रामवल्लभ चेला हरसुखदास, सा0 देह खातेदार

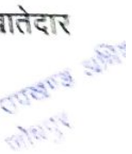

हैं। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त खसरान की कृषि भूमियां प्रथमदृश्ट्यां ही खातेदारी की कृषि भूमियां नहीं होकर इमारती पटटे की जायदाद होना प्रतीत होती हैं। इसके अलावा वादीगण द्वारा अपने वाद में ही वादग्रस्त जायदाद को वादीगण के पिता द्वारा मोहनदासजी से सन् 1974 में खरीदने का उल्लेख किया गया हैं जबकि राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करें तो संवत् 1982 से लेकर 2058 तक राजस्व रेकर्ड में रामवल्लभ चेला हरसुखदास के नाम से बजरिये इमारती पटटा दर्ज हैं जबकि मोहनदासजी के नाम का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में बेचाननामा निष्पादन के समय दिनांक 18.03.1974 को था ही नहीं । ऐसा बेचाननामा जिसके निष्पादनकर्ता के नाम से कोई राजस्व रेकर्ड ही नहीं हो एवं न ही किसी अधिकार पत्र के जरिये हस्तान्तरण करने के अधिकार प्राप्त हुए हो तो ऐसा बेचाननामा ही अपने आप में नल एवं वोईड दस्तावेज की श्रेणी में आता हैं। चूंकी वादग्रस्त खसरान की जायदाद तो केवल मात्र रामवल्लभदासजी के नाम से ही राजस्व रेकर्ड में सम्वत् 1982 से सम्वत् 2058 तक दर्ज रहीं हैं जो वादग्रस्त जायदाद परमार्थ रामद्वारा की इमारती पटटे की अहस्तान्तरण योग्य परमार्थ उपयोगार्थ जायदाद हैं जिसकों हस्तान्तरण करने के अधिकार न तो कभी रामवल्लभदासजी को हुए एवं न ही उनके चेलों इत्यादी को प्राप्त हो सकते हैं। वादपत्र के पद संख्या छः में वादीगण द्वारा स्वयं लिखित इबारत प्रस्तुत की गयी हैं कि अभयरामजी के सन् 2002 में स्वर्गवास होने पर यह भूमि प्रतिवादी श्री रामप्रसादजी के गुरू श्री मोहनदासजी को उत्तराधिकार के कम में/विरासत के कम में/चेला प्रथा के कम में बेचानकर्ता मोहनदासजी को प्राप्त हुई हैं जबकि पत्रावली में पेश दस्तावेजात अनुसार मोहनदासजी के गुरू अभयराम जी को भी कभी वादग्रस्त जायदाद प्राप्त नहीं हुई हैं तो उनके चेलों को तो प्राप्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं । वादग्रस्त जायदाद का बेचाननामा सन् 1974 में किस अधिकारों से मोहनदासजी द्वारा निष्पादित किया गया वह समझ से परे हैं क्योंकि मोहनदासजी के नाम से न तो राजस्व रेकर्ड में बहैसियत खातेदार के अधिकार थे एवं न ही उस समय मोहनदासजी महंत/गादीपति थे। यदि कोई प्रभाव रखने वाला बेचाननामा होता तो तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा भी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया जाता । ऐसी स्थिति में उक्त बेचाननामा ही अपने आप में शून्य दस्तावेज की श्रेणी का हैं। यदि प्रभावी बेचाननामा होता तो वह मोहनदासजी एवं भीखारामजी के जीवनकाल में अवश्य ही पेश होता एवं उनके जीवन काल में उक्त तथाकथित बेचाननामें के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अवश्य ही इन्द्राज किये जाते । उक्त जायदाद परमार्थ उपयोगार्थ जायदाद होने से उसे हस्तान्तरण योग्य अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं हैं एवं न ही हो सकते हैं। वादग्रस्त जायदाद के राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से भी स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि वादग्रस्त जायदाद इमारती पटटे की जायदाद हैं जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 1271 में भी दर्ज हैं एवं अन्य राजस्व रेकर्ड जो कि प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये गये हैं उनमें भी इमारती पटटे की जायदाद अंकित हैं । वादग्रस्त जायदाद के लगान का भी निर्धारण नहीं हैं एवं न ही कभी लगान अदा किया गया ऐसी स्थिति में इमारती पटटे की जायदाद बाबत् राजस्व न्यायालय में वाद पेश करने हेतु वादीगण को वादकरण पैदा होना नहीं माना जा सकता हैं जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद ही धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वर्जित हैं । अधिवक्ता वादीगण द्वारा जो नजीरें पेश की गयी हैं, नजीरों का अवलोकन किया गया। वर्तमान मामलें में किसी प्रकार से चस्पा नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त खसरान की कृषि भूमियां प्रथमदृश्ट्यां ही खातेदारी की कृषि भूमियां नहीं होकर इमारती पटटे की जायदाद होना प्रतीत होती हैं। इसके अलावा वादीगण द्वारा अपने वाद में ही वादग्रस्त जायदाद को वादीगण के पिता द्वारा मोहनदासजी से सन् 1974 में खरीदने का उल्लेख किया गया हैं जबकि राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करें तो संवत् 1982 से लेकर 2058 तक राजस्व रेकर्ड में रामवल्लभ चेला हरसुखदास के नाम से बजरिये इमारती पटटा दर्ज हैं जबकि मोहनदासजी के नाम का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में बेचाननामा निष्पादन के समय दिनांक 18.03.1974 को था ही नहीं । ऐसा बेचाननामा जिसके निष्पादनकर्ता के नाम से कोई राजस्व रेकर्ड ही नहीं हो एवं न ही किसी अधिकार पत्र के जरिये हस्तान्तरण करने के अधिकार प्राप्त हुए हो तो ऐसा बेचाननामा ही अपने आप में नल एवं वोईड दस्तावेज की श्रेणी में आता हैं। चूंकी वादग्रस्त खसरान की जायदाद तो केवल मात्र रामवल्लभदासजी के नाम से ही राजस्व रेकर्ड में सम्वत् 1982 से सम्वत् 2058 तक दर्ज रहीं हैं जो वादग्रस्त जायदाद परमार्थ रामद्वारा की इमारती पटटे की अहस्तान्तरण योग्य परमार्थ उपयोगार्थ जायदाद हैं जिसकों हस्तान्तरण करने के अधिकार न तो कभी रामवल्लभदासजी को हुए एवं न ही उनके चेलों इत्यादी को प्राप्त हो सकते हैं। वादपत्र के पद संख्या छः में वादीगण द्वारा स्वयं लिखित इबारत प्रस्तुत की गयी हैं कि अभयरामजी के सन् 2002 में स्वर्गवास होने पर यह भूमि प्रतिवादी श्री रामप्रसादजी के गुरू श्री मोहनदासजी को उत्तराधिकार के कम में/विरासत के कम में/चेला प्रथा के कम में बेचानकर्ता मोहनदासजी को प्राप्त हुई हैं जबकि पत्रावली में पेश दस्तावेजात अनुसार मोहनदासजी के गुरू अभयराम जी को भी कभी वादग्रस्त जायदाद प्राप्त नहीं हुई हैं तो उनके चेलों को तो प्राप्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं । वादग्रस्त जायदाद का बेचाननामा सन् 1974 में किस अधिकारों से मोहनदासजी द्वारा निष्पादित किया गया वह समझ से परे हैं क्योंकि मोहनदासजी के नाम से न तो राजस्व रेकर्ड में बहैसियत खातेदार के अधिकार थे एवं न ही उस समय मोहनदासजी महंत/गादीपति थे। यदि कोई प्रभाव रखने वाला बेचाननामा होता तो तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा भी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया जाता । ऐसी स्थिति में उक्त बेचाननामा ही अपने आप में शून्य दस्तावेज की श्रेणी का हैं। यदि प्रभावी बेचाननामा होता तो वह मोहनदासजी एवं भीखारामजी के जीवनकाल में अवश्य ही पेश होता एवं उनके जीवन काल में उक्त तथाकथित बेचाननामें के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अवश्य ही इन्द्राज किये जाते । उक्त जायदाद परमार्थ उपयोगार्थ जायदाद होने से उसे हस्तान्तरण योग्य अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं हैं एवं न ही हो सकते हैं। वादग्रस्त जायदाद के राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से भी स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि वादग्रस्त जायदाद इमारती पटटे की जायदाद हैं जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 1271 में भी दर्ज हैं एवं अन्य राजस्व रेकर्ड जो कि प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये गये हैं उनमें भी इमारती पटटे की जायदाद अंकित हैं । वादग्रस्त जायदाद के लगान का भी निर्धारण नहीं हैं एवं न ही कभी लगान अदा किया गया ऐसी स्थिति में इमारती पटटे की जायदाद बाबत् राजस्व न्यायालय में वाद पेश करने हेतु वादीगण को वादकरण पैदा होना नहीं माना जा सकता हैं जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद ही धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वर्जित हैं । अधिवक्ता वादीगण द्वारा जो नजीरें पेश की गयी हैं, नजीरों का अवलोकन किया गया। वर्तमान मामलें में किसी प्रकार से चस्पा नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उदार) जोधपुर

अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाता हैं तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्व न्यायालय में धारा 207 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत वर्जित होने से तथा वादकरण के अभाव में खारिज किया जाता हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

पंकज कुमार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उतर) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 13/6/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/6/2024

पंकज कुमार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उतर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (उतर) जोधपुर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 21 रूल 3, 7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत मुकाम जोधपुर व इजलास

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उतर) जोधपुर

ठासीन अधिकारी:– श्री पंकज कुमार (आर.ए.एस.)

जस्व मूल वाद संख्या :– 01/2023

दीगण–

1. दलपतसिंह पुत्र श्री भीखारामजी,
2. रूपाराम पुत्र श्री भीखारामजी,
3. जगदीश पुत्र श्री भीखारामजी,
4. जयसिंह पुत्र श्री भीखारामजी,

जातियान माली, निवासीगण खरबुजा बावड़ी, सूरसागर, गांव बागां, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादी–

1. रामप्रसाद चेला श्री मोहनदासजी, निवासी खरबुजा बावड़ी, सूरसागर, गांव बागां, तहसील व जिला जोधपुर।

दावा बाबत् 88 व 188 आर.टी.एक्ट. में मुकदमा नम्बर 01/2023 यह मुकदमा वास्ते इनकिलास कतई रूबरू हमारे वादी अधिवक्ता श्री जयदेव सिंह चारण व प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री श्री सुगनमल परिहार, हाजिर पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर, वादी का दलपतसिंह वगैरा बनाम रामप्रसाद का विधि द्वारा बाधित होने से खारीज किया जाता है।

लीज....x......मुबलिक......x.....बाबत्.....x....खर्चा इस मुकदमें के मय सुद वगैरह.........x....की सदी सलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......x........को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत आज तारीख 13.6.2024 की जारी की गई।

पंकज कुमार, (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उतर) जोधपुर

मुदाई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प जारी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकिल		
खर्चा अहवान्			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मतफरिक			मतफरिक		

नोट– इस खर्च के फार्म हर दी फरीकेन या वाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

13/6/24.

पंकज कुमार, (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उतर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर